



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032024-252532  
CG-DL-E-01032024-252532

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 949]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2024/फाल्गुन 11, 1945

No. 949]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2024/PHALGUNA 11, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2024

सं. 63/2023

विषय: बांग्लादेश को प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात।

**का.आ. 994(अ).**—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 07.12.2023 की अधिसूचना संख्या 49/2023 के पैरा 3 में निहित प्रावधान के अनुरूप केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से बांग्लादेश को 50,000 मीट्रिक टन प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) के निर्यात की अनुमति प्रदान करती है।

2. प्याज के निर्यात हेतु तौर तरीकों को उपभोक्ता मामले विभाग के साथ परामर्श से एनसीईएल द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

3. अधिसूचना का प्रभाव:

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से बांग्लादेश को 50,000 मी.ट. प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात अधिसूचित किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/191/060/एएम-24/ईसी/ई-38291]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2024

**No. 63/2023****Subject: Export of Onions (under HS code 0703 10 19) to Bangladesh.**

**S.O. 994(E).**— In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023 and in accordance with the provision contained in Para 3 of Notification No. 49/2023 dt. 07.12.2023, the Central Government permits export of 50,000 MT of onions (under HS code 0703 10 19) to Bangladesh through National Cooperative Exports Limited (NCEL).

2. Modalities for the export of onion shall be worked by NCEL in consultation with Department of Consumer Affairs.

3. Effect of the Notification:

Export of 50,000 MT of onions (under HS code 0703 10 19) to Bangladesh through National Cooperative Exports Limited (NCEL) is notified.

[F. No. 01/91/191/060/AM-24/EC/E-38291]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.